कार्यालय सेवा प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सहारनपुर।

पत्रांक 284 एल/से0प्र/स0पुर/निविदा/17 दिनाँक 16-3-17

निविदा आमत्रंण सूचना

विषय :–विभिन्न प्रकार के विद्युत मोटर पाटर्स मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, सहारनपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यशाला/डिपो कार्यशाला में टाटा वाहनों के विभिन्न विद्युत मोटर पार्टस की रिपेयरिंग जॉब हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। जिन जॉब वर्क के लिये निविदा आमत्रित की जानी है, वे निम्नवत् है :–

क्रम सं0	जॉब का विवरण	किमी गारन्टी	दर (रुपये में)
1	**विद्युत कार्य** A. आर्मेचर रिवाइडिंग करना B. स्टेटर यूरो–2 रिवाइडिंग करना C. स्टेटर यूरो–3 रिवाइडिंग करना D. रोटर रिवाइडिंग करना E. फील्ड क्वॉयल रिपेयर करना टी0 सी0		
2	**सैल्फ कार्य** A. बुश टर्निग करना B. आर्मेचर शाफ्ट बैलेंश करना C. सैल्फ असेम्बली यूरो–2 रिपेयरिंग करना D. सैल्फ असेम्बली यूरो–3 रिपेयरिंग करना		
3	**अल्टरनेटर कार्य** A. रोटर शाफ्ट बैलेंश करना B. एस0 आर0 ई0 ब्रैकिट बुश बनाना C. अल्टरनेटर असेम्बली यूरो–2 रिपेयरिंग करना D. अल्टरनेटर असेम्बली यूरो–2 रिपेयरिंग करना		

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित जॉब वर्क जो सम्भावित हो, के रेटों का भी उल्लेख किया जा सकता है। अतः उपरोक्तानुसार अंकित कार्यों हेतु इच्छुक फर्मों से आवेदन आमत्रित किये जाते है। कृपया दिनांक 27.03.2017 को 14:00 बजे तक बन्द लिफाफे में आवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिन्हें उसी तिथि 27.03.2017 में 14:00 बजे के बाद खोला जायेगा। उपरोक्त दी गई दरें 31.03.2018 तक स्थिर रहेंगी।

निविदायें प्रेषित करने हेतु पता निम्नवत् होगा :–

सेवा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
गिल कॉलोनी, कोर्ट रोड
सहारनपुर– 247001

निविदा की अन्य शर्तें।

1. निविदाकर्ता को दस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट, टेण्डर के साथ प्रतिभूति के रुप में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट "सेवा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजय सडक परिवहन निगम, सहारनपुर" के पक्ष में देय होगा। प्रतिभूति की राशी कार्यादेश की अवधि एवं तदोपरान्त सम्बन्धित कार्य की किमी0 गारन्टी की अवधि संतोषजनक रुप से सम्पूर्ण होने पर परिवहन निगम के पास जमा रहेंगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. **जिस टेण्डर प्रस्ताव के साथ अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा वह प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।**
3. आवेदन करने वाली फर्मो को परिवहन निगम के साथ काम करने का कम से कम छः माह का अनुभव होना चाहिये। यदि फर्म द्वारा सहारनपुर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्य किया गया है तो सम्बन्धित क्षेत्र के सेवा प्रबन्धक से प्रमाणित सर्टीफिकेट/ क्रयादेश फर्म को उपलब्ध करवाना होगा।

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर..

Downloaded from www.upsrtc.com

4. यदि किन्हीं ऐसी फर्मों के ऑफर प्राप्त होते हैं जिनके यहाँ जॉब वर्क कराने हेतु परिवहन निगम को उनकी वर्कशाप में जॉब भेजना आवश्यक हो तो ऐसे केसों में स्थानीय अथवा निकटस्थ स्थानों में स्थित फर्म को वरियता दी जायेगी।
5. टेण्डरदाता निगम की वेबसाइट से अथवा सेवा प्रबन्धक कार्यालय, सहारनपुर से टेण्डर फार्म रुपये 100.00+ वेट (वर्तमान 15%) की धनराशि जमा कर प्राप्त कर सकता है निगम की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये टेण्डर ऑफर के साथ टेण्डर फार्म की उक्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा जो प्रतिभूति राशि से अलग होगी एवं वापस नहीं की जायेगी। **यह धनराशि ड्राफ्ट के रुप में अथवा सेवा प्रबन्धक कार्यालय में नकद जमा कर उसकी रसीद टेण्डर फार्म के साथ लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है।**
6. फर्म को टेण्डर ऑफर उक्त टेण्डर निर्धारित फार्म में ही भरकर जमा करना होगा।
7. फर्म को अपने प्रस्ताव में टेण्डर में दी गयी किमी0 गारन्टी के अनुसार ही दरें अंकित करनी होगी उक्त किमी0 गारन्टी से पहले यदि असेम्बली फेल होती है तो फर्म को उस आईटम को एफ.ओ.सी.(फ्री ऑफ कॉस्ट) बनाना होगा यदि पुनः उक्त आईटम निर्धारित किमी0 गारन्टी से पूर्व फेल होता है तो उस आईटम के जॉब वर्क का भुगतान फर्म को अनुमन्य नहीं होगा।
8. फर्म को जॉब वर्क हेतु सामग्री/ आईटम क्षेत्रीय कार्यशाला, सहारनपुर से प्राप्त करना होगा तथा रिपेयर के उपरान्त वापस क्षेत्रीय कार्यशाला, सहारनपुर में जमा करना होगा यदि किन्हीं ऐसी फर्मों के ऑफर प्राप्त होते है जिनमें यहाँ जॉब वर्क कराने हेतु आईटम उनकी वर्कशाप में भेजना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय अथवा निकटस्थ स्थानों में स्थित फर्म को वरियता दी जायेगी।
9. निगम द्वारा जो जॉब वर्क कार्यशालाा में कराया जाता है उसमें फर्म/ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा होने पर किसी भी प्रकार का विधिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का नहीं होगा। बल्कि इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा।
10. मुख्यालय द्वारा निर्देशित फर्मों के पूर्व प्रस्तावों को तुलनात्मकविवरण हेतु आवश्यक माना जायेगा।
11. फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक ना किये जाने की दशा में परिवहन निगम किसी भी समय बिना सूचना/नोटिस के कार्यादेश निरस्त करने के लिये अधिकृत होगा। यदि फर्म कार्यादेश की अवधि के मध्य आदेशित जॉब वर्क बन्द करना चाहती है तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व परिवहन निगम को इस आशय की सूचना/नोटिस लिखित रुप से देना होगा अन्यथा की दशा में परिवहन निगम फर्म की जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति फर्म से/फर्म के देयकों से किये जाने के लिये स्वतन्त्र/अधिकृत होगा।
12. जिस फर्म का टेण्डर ऑफर स्वीकार नहीं होगा उसकी प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार फर्म को वापस कर दी जायेगी।

(श्याम बाबू)
सेवा प्रबन्धक
सहारनपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित समस्त कार्यालयों के सूचनापट एवं नोटिस बोर्ड हेतु।

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर क्षेत्र।
2. सेवा प्रबन्धक, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर क्षेत्र।
3. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (एम.आई.एस.) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को email id tender@upsrtc.com के माध्यम से इस अनुरोध के साथ कि वें उक्त को निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
4. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर डिपो।
5. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुजफ्फरनगर डिपो।
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम छुटमलपुर डिपो।
7. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम खतौली डिपो।
8. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम शामली डिपो।
9. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गंगोह डिपो।

(श्याम बाबू)
सेवा प्रबन्धक
सहारनपुर।

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर..

Downloaded from www.upsrtc.com